

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

दिनांक 21.10.2011 को सांय 3.00 बजे सचिव, नगर सुधार न्यास एवं अध्यक्ष ने आउट समिति की अध्यक्षता में ले-आउट प्लान समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों ने लिया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार है:-

1. सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर
2. अधिशाही अभियंता (पूर्व एवं पश्चिम) नगर सुधार न्यास, अजमेर
3. सहायक सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर
4. सहायक नगर नियोजक एवं प्रतिनिधि उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास, अजमेर

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य सचिव

1. कोटडा ग्राम के पास पीटी सर्वे प्लान क्षेत्रफल 435532.1 व.ग भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू उपयोग आवासीय है। पंधुच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष पीटी सर्वे प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा पीटी सर्वे प्लान का अवलोकन किया गया। उक्त सर्वे में विल्ट अप एरिया 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने एवं खसरा सुपर इम्पोज की जांच तथा 90 बी (1) की कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
2. अलखनंदा कॉलोनी पीटी सर्वे प्लान क्षेत्रफल 19952.49 व.मी. भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू उपयोग आवासीय है। पंधुच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष पीटी सर्वे प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा पीटी सर्वे प्लान का अवलोकन किया गया। उक्त सर्वे में विल्ट अप एरिया 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने एवं खसरा सुपर इम्पोज की जांच तथा 90 बी (1) की कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
3. कुन्दन नगर पीटी सर्वे प्लान क्षेत्रफल 391949.3 व.ग भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू उपयोग आवासीय है। पंधुच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष पीटी सर्वे प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा पीटी सर्वे प्लान का अवलोकन किया गया। उक्त सर्वे में विल्ट अप एरिया 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने एवं खसरा सुपर इम्पोज की जांच तथा 90 बी (1) की कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
4. श्री संजीव अग्रवाल एवं सुश्री चारु गुर्जर ग्राम माडवाली, खं नं. 3365, 3366 क्षेत्रफल 4-07-00 बीघा (8421.60 व.ग.) भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू उपयोग आवासीय एवं आंशिक अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन है, पंधुच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया प्रस्तुत ले आउट प्लान में दर्शाये अनुसार पंधुच मार्ग 60' सड़क से मिलता है। सड़क के मध्य से 30' की चौड़ाई में आने वाली भूमि सड़क विस्तार हेतु छोड़ते हुए एवं मास्टर प्लान के अनुसार आंशिक अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन हेतु आरक्षित रखते हुए ले आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र सड़क, पार्क व सार्वजनिक सुविधाएं 40 प्रतिशत से अधिक रखते हुए टाउनशिप पॉलिसी के बिन्दु संख्या 4.02 (i) के अनुसार संशोधन के साथ ले आउट प्लान स्वीकृत करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

5. विनायक कॉलोनी श्रीमति मवरी देवी एवं विभिन्न क्रेतागण ग्राम घूघरा, खं नं. 671 से 677 क्षेत्रफल 9009.81 व.ग. भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु आवेदन किया हुआ है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान में भू उपयोग आवासीय है, पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया उक्त ले आउट प्लान के भूखण्डों का विक्रय दिनांक 17.06.99 से पूर्व का है। ले आउट प्लान के अन्दर की सड़कों को 20' के स्थान पर 30' चौड़ी करते हुए एवं मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 80' रखते हुए सड़क के मध्य से 40' चौड़ाई में आने वाली भूमि को सड़क विस्तार हेतु छुड़वाते हुए आवासीय क्षेत्र 70 तक प्रतिशत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधन के साथ ले आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. आवेदिका श्रीमति अंजू ठाकुर एवं श्रीमति वर्तिका ठाकुर ग्राम किरानीपुरा खं नं. 75, नया 155 व 161 क्षेत्रफल 2885.00 व.ग 2885/4162 भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु आवेदन किया हुआ है। उक्त भूमि का भू उपयोग अजमेर मास्टर प्लान 2023 में आवासीय है, पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया उक्त ले आउट प्लान की भूमि का विक्रय दिनांक 17.06.99 से पूर्व का है। ले आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र 40 प्रतिशत से अधिक है। मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 100' रखते हुए सड़क मध्य से 50' चौड़ाई में आने वाली भूमि को सड़क विस्तार हेतु छुड़वाते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधन के साथ ले आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7. डां महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव ग्राम चौरसियावास खं नं. 1361 क्षेत्रफल 453.33 व.ग. भूमि के नियमन का आवेदन किया गया है। स्वीकृत पी.टी. सर्वे के पास पहुंच मार्ग सर्वे प्लान में दर्शाया गया है। पास के तीन भूखण्डों का जो स्वीकृत पी.टी. सर्वे की सीमा से बाहर है का पूर्व में हो नियमन हो चुका है।

निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया पी.टी. सर्वे से पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित स्थल के आस-पास के एरिया को पी.टी. सर्वे में शामिल करते हुए पूर्व में स्वीकृत पी.टी. सर्वे से लगता हुआ भाग एबीसीडी स्वीकृत करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

8. आवेदिका, श्रीमति चन्द्रकान्ता जैन एवं श्री चान्दुमल चौधरी ग्राम कोटडा के खं नं. 1052, 1054 क्षेत्रफल 252.77 व.ग. एवं खं नं. 1052 क्षेत्रफल 324.4 व.मी. भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2023 में भू उपयोग आवासीय है, 20' चौड़ा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः समिति के समक्ष ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया प्रस्तुत ले आउट प्लान के सामने न्यास द्वारा भूमि के बदले भूखण्ड दिये गये हैं। अतः मौके पर खसरे का सीमांकन एवं 90 बी की जानकारी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

9. आवेदक श्री महेश केवलरमानी ग्राम कोटडा खं नं. 105, 106 क्षेत्रफल 01-03--10 बीघा भूमि का ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त खसरा नम्बर हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना में आते हैं। मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय है। पहुंच मार्ग उपलब्ध है। 90 बी का निर्णय न्यास द्वारा किया गया है। खं नं. 105, 106 से प्रभावित होने वाले भूखण्ड योजना से ली गई रिपोर्ट के अनुसार न्यास द्वारा विक्रय/आवेदन नहीं किये गये हैं। अतः समिति के समक्ष ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया प्रस्तुत ले आउट प्लान की भूमि की 90 बी की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त खसरे से प्रभावित होने वाले दस भूखण्डों का विक्रय न्यास द्वारा ही किया जायेगा समिति द्वारा सर्वसम्मति से ले आउट प्लान निम्न शर्तों पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

1. हारेभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना के ले आउट प्लान को यथावत रखा जायेगा।
2. भूखण्ड संख्या 82, 83, 94, 95, 100, 105, 123 से 126 का विक्रय न्यास द्वारा ही किया जायेगा।
3. उक्त ले आउट में सुविधा क्षेत्र 40 प्रतिशत से अधिक मिलता है।
4. उक्त ले आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 99 के शेष बचे हुये भाग का निस्तारण होने के बाद नियमन की कार्यवाही की जावे।
5. वास्तविक, आन्तरिक एवं बाह्य विकास शुल्क देय होगा।

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से :-

- 10- (i) श्रीमति नीलम जैन पत्नि श्री विजय जैन के ग्राम लोहागल के खं नं. 848 से 850, 852, 853 886 क्षेत्रफल 5669.01 वर्गगज भूमि का ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 10.06.10 द्व स्वीकृत किया गया। अब श्रीमति नीलम जैन एवं श्री विजय जैन द्वारा खं नं. 851 रकबा 14 विर को सम्मिलित करते हुए संशोधित व प्रस्तावित ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 6666.15 वर्गगज है। साथ ही निवेदन किये गये हैं कि पूर्व में स्वीकृत आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड विक्रय नहीं किया गया है। मास्टर प्लान में भूमि का भू उपयोग आवासीय है। प्रस्तुत ले आउट प्लान में सड़क, पार्क व अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र 40 प्रतिश से अधिक है। पूर्व में उक्त सड़क पर स्वीकृत ले आउट प्लान में दर्शाये गये नाले को सड़क सहारे सहारे निरन्तर रखते हुये समिति द्वारा संशोधित ले आउट प्लान स्वीकृत करने व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (ii) श्री औंकार लाल पुत्र श्री परसाराम जी द्वारा ग्राम कायड के खसरा नम्बर 2992 मिन रकबा 306 00 वर्गगज भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त खसरे का अजमेर मास्टर प्लान 2023 में भू-उपयोग आवासीय है, उक्त प्रकरण मिन खसरे का है। अतः सम्पूर्ण खसरे व प्लान प्रस्तुत करवाकर आगामी बैठक में रखने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (iii) श्रीमती मोहनी देवी पत्नि श्री औंकारलाल भगत द्वारा ग्राम घूघरा के खसरा नम्बर 422 मिन रकबा 908.60 वर्गगज भूमि का आवासीय ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त खसरे व अजमेर मास्टर प्लान 2023 में भू-उपयोग आवासीय है। पहुँच मार्ग पूर्व में स्वीकृत प्लान खसरा नम्बर 422 मिन एवं 401 की सड़कों से मिलना नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त खसरे का प्लान पूर्व में अन्य खसरा के साथ स्वीकृत है अतः पूर्व में स्वीकृत प्लानों से मिलान कर मौका स्थिति जाँच कर प्रकरण आगामी बैठक में रखने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (iv) श्री नवीन भाटी द्वारा ग्राम नौसर के खसरा नं. 521 रकबा 00-17-10 बीघा में से अपने भूखण्ड संख्या 3 के नियमन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त खसरा का भू उपयोग मास्टर में आवासीय है। प्रस्तुत किये गये ले आउट प्लान में पहुँच मार्ग की जाँच करवाकर पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष,
ले आउट प्लान समिति,
एवं सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

दिनांक:- 14-11-11

क्रमांक/न्यास/प.3/2011/1931 - 47

1. निजी सचिव, सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर।
2. विशेषाधिकारी (भूमि) एवं प्राधिकृत अधिकारी 90 बी, नगर सुधार न्यास, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधिशापी अभियंता पूर्व/पश्चिम, नगर सुधार न्यास, अजमेर।
4. सहायक सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर।
5. कार्यालय पत्रावली।

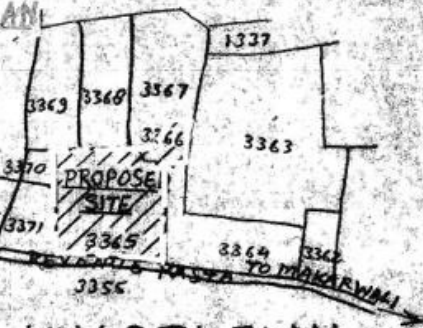
उप नगर नियोजक,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

PRIVATE A.G. LAND KH.NO. 3338 & 3367

LAND LEFT FOR
M.P. USE S.R. -

SEMI PUBLIC AND
RECREATIONAL AS PER M. PLAN

PRIVATE
BOUNDARY WALL 7.5
ROAD 30'-0" WIDE



KHASRA PLAN
SCALE:- 1" = 330'-0"

As presented before
on file record
9/2/2011



SCALE:- 1" = 40'-0"

NOTE:-

1. PLOTTED AREA IN SQ. YDS. = 4636.99 = 550.84
 2. COMMERCIAL & INFORMAL SECTOR = 404.80 = 04.81
 3. ROADS AREA IN SQ. YDS. = 1966.70 = 23.35
 4. FACILITY (PARK & S.R. AREA IN SQ. YDS. = 1413.11 = 16.78
- TOTAL AREA IN SQ. YDS. = 8421.60 = 100.00**

Lay out plan approved by Jay out plan
committee decision on dated - 21-10-2011.

नोट: यह क्षेत्र आकर रजाम स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

BOUNDARY
WALL

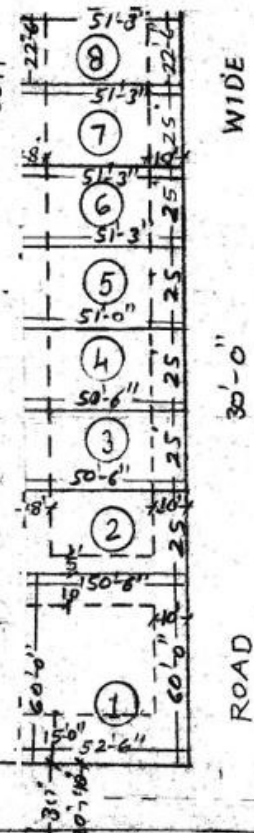
नगर निगम
नगर सहाय व्यास
अजमेर

नगर निगम
नगर सहाय व्यास, अजमेर

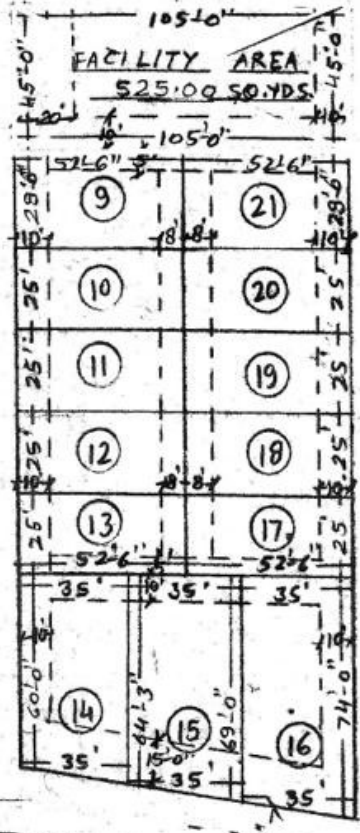
LAY OUT PLAN
SCALE:- 1" = 40'-0"

**PROPOSED LAY OUT PLAN OF RESIDENTIAL
PLOTS ON KH. NO. 3365 & 3366 AT VILLAGE
MAKARWALI, JANANA TO MAKARWALI ROAD, AJMER**

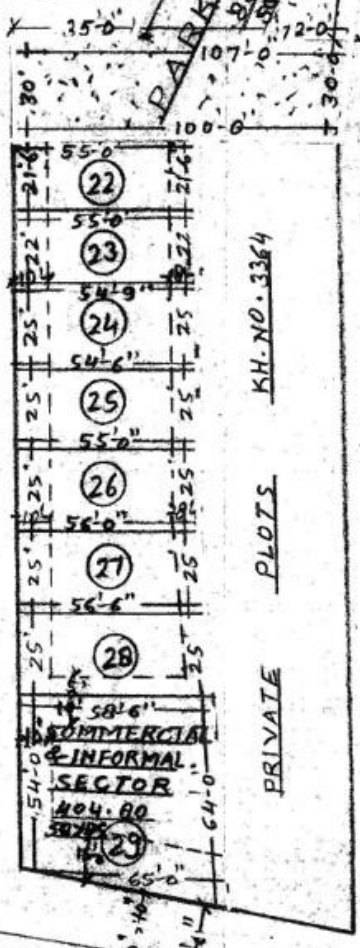
PRIVATE A.G. LAND KH. NO. 3338 & 3371



ROAD 30'-0" WIDE



ROAD 30'-0" WIDE



PRIVATE PLOTS KH. NO. 3364

ROAD 30'-0" WIDE

PRIVATE PLOTS KH. NO. 3364 & 3363

PRIVATE PLOTS

मनीष कुमार वर्मा
एजेंट
वीरक इलेक्ट्रिकल्स के पास
कच्चा रोड, अजमेर (राज.)
DRAWN BY:-

(SIGN. OF APPLICANT)